बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या–3प0 / बीआरजीएफ(नीति)–17–02 / 2014 / 9026 / पं0रा0 पटना दिनांक 30 / 10 / 2017

विषय : पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों की वित्तीय अधिसीमा की वृद्धि के संबंध में।

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा चौदहवें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9221 दिनांक 19.11.2014 (मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–22.10.2014 में मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृत) के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जाता है। उक्त संकल्प द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया गया था:–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख रू0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पाँच लाख रू0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख रू0 तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पाँच लाख रू0 तक

2. विगत वर्षों में योजनागत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है एवं विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली राशि से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत एवं विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों के प्रत्यायोजित शक्तियों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. अतः पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्नरूपेण प्रत्यायोजित की जाती है:—

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रू0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पंद्रह लाख रू0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रू0 तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पंद्रह लाख रू0 तक

4. उपर्युक्त पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक—9221 दिनांक—19.11.2014 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय शक्ति की अधिसीमा की वृद्धि की जा रही है। संकल्प के शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

Sd/- 30/10/2017

(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 3प0/बीआरजीएफ(नीति)–17–02/2014/9026/पं0रा0 पटना, दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 30/10/2017

(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांकः3प0/बीआरजीएफ(नीति)–17–02/2014/9026/पं0रा0 पटना, दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायतराज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 30/10/2017

(सुरेश प्रसाद साह)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 3प0 / बीआरजीएफ(नीति)–17–02 / 2014 / 9026 / पं0रा0.		पटना, दिनांक 30 / 10 / 2017

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभाग के सभी पदाधिकारियों तथा सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2017

(सुरेश प्रसाद साह)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 3प0 / बीआरजीएफ(नीति)–17–02 / 2014 / 9026 / पं0रा0		पटना, दिनांक 30 / 10 / 2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

30/10/2017

(सुरेश प्रसाद साह)
अपर सचिव